भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3852

25 मार्च, 2022 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आयुष पद्धति से जोड़ना

3852. डॉ. अरविन्द कुमार शर्माः

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अनुसार दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, बुनियादी ढांचे को विकसित करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने और आयुष प्रणालियों को प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) नेटवर्क से जोड़ने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में प्रगति हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 अन्य बातों के साथ-साथ शिक्षण संस्थानों की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार, निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशल के निर्माण और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के साथ आयुष प्रणालियों को जोड़ने के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति को पोषित करने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करती है।

इस संबंध में, आयुष मंत्रालय आयुष पद्धतियों के विकास और प्रचार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन अन्य बातों के साथ-साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यकलापों का प्रावधान करता है:-

(i) आयुष्मान भारत के तहत आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र (एचडब्ल्यूसी)

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं का सह-स्थापना

(iii) मौजूदा एकल राजकीय आयुष अस्पतालों का उन्नयन

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/नए एकल औषधालयों की स्थापना

(v) 50/30/10 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

(vi) राजकीय आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और राजकीय/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति

(vii) आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम

(viii) राज्य सरकार के स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास।

(ix) उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना, जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

आयुष मंत्रालय 2021-22 से आयुष औषधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना, आयुष औषध गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं::

(i) आत्मानिर्भर भारत की पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और पारंपरिक औषधियों और स्वास्थ्य संवर्धन उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

(ii) आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकीकरण, गुणवत्ता विनिर्माण और विश्लेषणात्मक परीक्षण के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त अवसंरचनात्मक और प्रौद्योगिकी उन्नयन और संस्थागत गतिविधियों की सुविधा प्रदान करना।

(iii) आयुष औषधियों के भ्रामक विज्ञापनों के प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा जांच और निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर नियामक ढांचे को सुदृढ़ करना।

(iv) आयुष औषधियों और सामग्रियों के मानकों और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए तालमेल, सहयोग और अभिसरण दृष्टिकोण के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) और केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस), केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) क्रमशः आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में अनुसंधान के लिए आयुष मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठनों के रूप में कार्यशील हैं। ये अनुसंधान परिषदें संबंधित पद्धतियों में वैज्ञानिक सत्यापन की दिशा में काम कर रही हैं।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय वर्ष, 2023-24 तक चरणबद्ध तरीके से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के एक घटक के रूप में 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) का संचालन करने जा रहा है। आयुष एचडब्ल्यूसी में निवारक और प्रोत्साहक दिशानिर्देशों और मानक उपचार दिशानिर्देशों के अनुसार सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए, यह परिकल्पना की गई है कि आशा अपने आसपास के क्षेत्र में आयुष सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्रदान करें, ताकि प्रकृति विश्लेषण सुनिश्चित किया जा सके, समाज में नियमित योग सुनिश्चित किया जा सके, आयुष सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियानों की जीवन शैली, आहार, व्यवहार संहिता की सिफारिश, औषधीय पादपों की खेती और आयुष देखभाल के तहत रोगियों का रेफरल और अनुवर्ती देखरेख सुनिश्चित की जा सके।

*****